भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5026

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः पीएमएफबीवाई के अंतर्गत बीमाकृत राशि और भूमि

5026. श्री गणेश सिंहः
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री नव चरण माझीः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फरवरी 2025 के अनुसार पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि का कुल मूल्य राज्यवार कितना है;

(ख) फरवरी 2025 के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत बीमाकृत कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत दावों के रूप में संवितरित की गई राशि और ऐसे किसान लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के तहत बीमित क्षेत्र, बीमित राशि और लाभार्थियों को भुगतान किए गए दावे का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): सरकार ने लाभार्थियों के बीच इस योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वे विभिन्न फसलों और क्षेत्रों के संदर्भ में कवरेज बढ़ाने के लिए योजना के तहत स्वेच्छा से खुद को नामांकित कर सकें। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बारे में जागरूकता के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए हैं। दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी, ऑपरेशनल गाइडलाइंस में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए उनके द्वारा एकत्र किए गए कुल सकल प्रीमियम का कम से कम 0.5% अनिवार्य रूप से खर्च करना चाहिए।

सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की प्रमुख विशेषताओं का प्रचार करने के लिए राज्यों, कार्यान्वित बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क द्वारा की जा रही जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।

इसके अलावा, जागरूकता अभियान 'क्राप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीजन से शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हितधारकों को संवेदनशील बनाना और किसानों के समग्र नामांकन को बढ़ाना है, जिससे उन्हें पहचाने गए आकांक्षी/आदिवासी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए फसल बीमा का लाभ उठाने में मदद मिल सके।

इसके साथ ही, योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों के ज्ञान निर्माण के लिए गांव/जीपी स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाएं' भी आयोजित की जा रही हैं।

इसके अलावा, जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य गतिविधियों में प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से योजना की प्रमुख विशेषताओं और लाभों का प्रचार, क्षेत्रीय/स्थानीय चैनलों पर ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों का प्रसारण, स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री का वितरण, किसान/राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से एसएमएस का प्रसार और किसानों, पंचायत सदस्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों सहित सभी हितधारकों की ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है।

सरकार ने देश भर में डोरस्टेप फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण मेगा अभियान - 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' का भी आयोजन किया था। फसल बीमा पॉलिसी रसीदों की हार्ड कॉपी ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत नामांकित किसानों को वितरित की जाती है। सभी कार्यान्वित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें संबंधित बीमा कंपनियों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर मेगा पॉलिसी वितरण अभियान का आयोजन कर रही हैं।

केंद्रीय सूचना, शिक्षा और संचार सलाहकार समिति द्वारा आईईसी गतिविधियों की व्यवस्थित निगरानी की गई है। यह समिति स्थानीय बीमा कंपनियों के साथ मिलकर फसल बीमा से संबंधित आईईसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभाव आकलन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अनुबंध

योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक बीमित क्षेत्र, बीमित राशि और लाभार्थियों को भुगतान किए गए दावों का विवरण

(दिनांक 31.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	बीमित राशि	भुगतान किए गए दावे	किसान आवेदकों द्वारा भुगतान किये गये दावे (संख्या में)
		(रुपये करोड़ में)		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.02	9.20	0.23	538
आंध्र प्रदेश	156.48	1,16,326.94	5,395.15	51,21,712
असम	30.73	22,243.94	637.61	9,25,556
बिहार	46.09	21,749.35	749.37	4,34,462
छत्तीसगढ़	188.30	70,749.66	7,315.47	1,03,79,412
गोवा	0.01	15.21	0.14	665
गुजरात	112.33	53,812.10	5,611.55	29,32,497
हरियाणा	140.97	95,000.48	8,819.34	50,48,253
हिमाचल प्रदेश	221.37	5,833.71	456.57	10,23,696
जम्मू और कश्मीर	4.71	3,101.86	127.66	1,60,419
झारखंड	19.40	10,733.47	884.79	8,95,140
कर्नाटक	165.05	78,179.98	14,149.40	99,95,341
केरल	4.19	3,177.46	567.61	4,57,666
मध्य प्रदेश	913.76	3,29,252.79	30,199.53	2,42,26,032
महाराष्ट्र	649.18	2,65,110.97	38,261.54	5,39,10,257
मणिपुर	0.41	172.97	8.85	24,531
मेघालय	0.18	136.87	9.15	12,503
ओडिशा	107.81	69,181.16	6,985.53	1,00,63,964
पुदुचेरी	0.72	462.31	40.01	42,581
राजस्थान	812.37	2,83,731.79	28,965.87	4,32,55,509
सिक्किम	0.02	14.38	0.70	1,408
तमिलनाडु	115.41	71,224.20	14,769.34	1,60,98,596
तेलंगाना	40.11	27,139.87	1,937.83	12,29,217
त्रिपुरा	2.60	1,791.38	8.04	1,00,600
उत्तर प्रदेश	315.40	1,55,177.67	5,348.76	72,14,957
उत्तराखंड	118.90	7,828.06	880.43	8,36,050
पश्चिम बंगाल	55.85	37,345.91	1,218.52	24,47,8
कुल (अखिल भारतीय)	4,222.38	17,29,503.71	1,73,349.02	19,68,39,362

नोटः स्रोत - एनसीआईपी

*****